

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2676]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12, 2015/अग्रहायण 21, 1937

No. 2676]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 2015/AGRAHAYANA 21, 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3373(अ).—भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 2776 (अ) में जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 10 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित किया गया था, के अंग्रेजी पाठ में,—

- (क) पंक्ति 10 में “(v)” के स्थान पर “(i)” पढ़ें
- (ख) पंक्ति 11 में “(vi)” के स्थान पर “(ii)” पढ़ें
- (ग) पंक्ति 12 में “(vii)” के स्थान पर “(iii)” पढ़ें
- (घ) पंक्ति 13 में “(viii)” के स्थान पर “(iv)” पढ़ें
- (ङ) पंक्ति 27 में “(vi)” के स्थान पर “(i)” पढ़ें
- (च) पंक्ति 28 में “(vii)” के स्थान पर “(ii)” पढ़ें
- (छ) पंक्ति 29 में “(viii)” के स्थान पर “(iii)” पढ़ें
- (ज) पंक्ति 30 में “(ix)” के स्थान पर “(iv)” पढ़ें
- (झ) पंक्ति 31 में “(x)” के स्थान पर “(v)” पढ़ें।

[फा. सं. 2-2/2015 फर्ट लॉ]

आई.रानी कुमुदनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
ORDER

New Delhi, the 12th December, 2015

S.O. 3373(E).— In the notification of the Government of India Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, No. S.O.2776 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, part II Section3, Sub-section (ii) dated 10th October, 2015, in the English Version,-

- (a) in line 10 for “(v)” read “(i)”;
- (b) in line 11 for “(vi)” read “(ii)”;
- (c) in line 12 for “(vii)” read “(iii)”;
- (d) in line 13 for “(viii)” read “(iv)”;
- (e) in line 27 for “(vi)” read “(i)”;
- (f) in line 28 for “(vii)” read “(ii)”;
- (g) in line 29 for “(viii)” read “(iii)”;
- (h) in line 30 for “(ix)” read “(iv)”;
- (i) in line 31 for “(x)” read “(v)”.

[F. No. 2-2/2015 Fert Law]

I. RANI KUMUDINI, Jt. Secy.